



# उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रधान कार्यालय: 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्रांक : 1286 / 2042- 0006 / 16

दिनांक : 26 / 09 / 2016

सेवा में

मुख्य अभियन्ता(क्षेत्रीय)  
उ० प्र० जल निगम।  
कानपुर/मुरादाबाद।

विषय:- वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत गुणता प्रभावित मद में जनपद कानपुर नगर की सिंगपुर कछार तथा जनपद रामपुर की पट्टी कलां पाइप पेयजल योजनाओं हेतु धनराशि के घनावंटन के संबंध में।

महोदय,

इस कार्यालय के विभिन्न पत्रों द्वारा प्रेषित मांग के सापेक्ष राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र सं० 304/डब्लू-409/2016 दिनांक 03.08.16 द्वारा गुणता प्रभावित मद में केन्द्रांश रू० 53.983 लाख तथा राज्यांश रू० 53.983 लाख अर्थात् कुल रू० 107.966 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। धनराशि की मांग हेतु इस कार्यालय के विभिन्न पत्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. पत्र सं.-237/2042-0023(शा०)/16 दि० 08.06.16 द्वारा जनपद कानपुर नगर की सिंगपुर कछार (सांसद आदर्श ग्राम) पाइप पेयजल योजना हेतु प्रेषित मांग के सापेक्ष केन्द्रांश रू० 14.556 लाख तथा राज्यांश रू० 14.556 लाख अर्थात् कुल रू० 29.112 लाख अवमुक्त।

2. पत्र सं.-289/2042-0023(शा०)/16 दि० 12.07.16 द्वारा जनपद रामपुर की पट्टी कलां पाइप पेयजल योजना हेतु प्रेषित मांग के सापेक्ष केन्द्रांश रू० 39.427 लाख तथा राज्यांश रू० 39.427 लाख अर्थात् कुल रू० 78.854 लाख अवमुक्त।

इस प्रकार राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन द्वारा उ० प्र० जल निगम को कुल रू० 107.966 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत गुणता प्रभावित मद में पाइप पेयजल योजनाओं हेतु प्राप्त धनराशि कुल रू० 107.966 लाख प्रधान कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं.-612/2313-0001/बजट/2016-17 दिनांक 12.08.16 द्वारा क्षेत्रों को अवमुक्त कर दी गई है। कृपया संबंधित जनपदों को संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि तत्काल अवमुक्त करने का कष्ट करें।

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	कुल प्रस्तावित धनराशि (रू० लाख में)
1	कानपुर	29.112
2	मुरादाबाद	78.854
	योग	107.966

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

( आर० एम० त्रिपाठी )  
मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)

पृ० सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ० प्र० लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।
3. मुख्य लेखाधिकारी, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ को उनके कार्यालय ज्ञाप सं.-612/2313-0001/बजट /2016-17 दिनांक 12.08.16 के संदर्भ में।
4. अधीक्षण अभियन्ता(ग्रामीण-1)/अधिशासी अभियन्ता(ग्रामीण-1), उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता(ई०डी०पी०सेल), उ० प्र० जल निगम लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे जल निगम की वेब-साइट पर डलवाने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)

OFFICE OF CHIEF ENGINEER(RURAL), U.P JAL NIGAM, LUCKNOW

Demand of fund against Sanctioned schemes

(QPV)

Sl. No.	Programme	Date of SLSSC	Zone	District	Name of Schemes	Sanctioned cost of project after deducting 5% Departmental efficiency	Centage To be borne by State Govt.	Work Cost	Source of Funding			Fund released vide swsm lett. No. 304/W-409/2016 dt. 03-08-16 and proposed to be released to Zones	
									Central Share	State Share	Work Cost	Central Share	State Share
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NRDWP (QPV) SAGY	24-03-15	Kanpur	Kanpur Nagar	Singhpur Kachhar	162.89	17.33	145.56	72.78	72.78	14.556	14.556	29.112
2	QPV	24-03-2015	Moradabad	Rampur	Patti Kalan	442.93	48.06	394.87	197.44	197.44	39.427	39.427	78.854
			<b>Total</b>			<b>605.82</b>	<b>65.39</b>	<b>540.43</b>	<b>270.22</b>	<b>270.22</b>	<b>53.983</b>	<b>53.983</b>	<b>107.966</b>

*[Signature]*  
SE (A-1)